न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०
20/7/18	मुकदमा पेश। पूर्व आदेश अनुसार पत्रावली दिनांक 20.9.18 को पेश हो।
13/12/18	दि. 20.9.18 को मुकदमा पेश। मुकदमा फरीकेन उप. श्रीमान P.O. महोदय दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 1.3.19 को उनके समक्ष पेश हो। पेशकार
1/3/19	मुकदमा फरीकेन उप. श्रीमान P.O. महोदय दीगर राज कार्य म व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 14.6.19 को उनके समक्ष पेश हो।
14/6/19	पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। वादी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नजर से ... दाखिल ... रिकार्ड ... कार्यालय में ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व दावा सं0	दावा दायरा दिनांक	प्रा0पत्र निर्णय दिनांक
285 / 2013	18.11.2015	22.4.2016

अनुवान

1. बनेसिंह पुत्र श्योसिंह कोम अहीर निवासी रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रार्थीवादी

बनाम

1. लीलाराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर वगैरा–11 निवासीयान ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगणअप्रार्थी0

दावा तकासमा आराजी हुक्मइम्तनाई दवामी।

प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थित :–

1. श्री मनोज यादव अभिभाषक, प्रार्थी / वादी
2. श्री विकास यादव अभिभाषक, अप्रार्थी / प्रति0

निर्णय

प्रार्थी / वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 इस न्यायालय में पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 31, 32, 34,

37, 40, 165, 166, 182, 184, 218, 466, 177, 181 वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर में मिन वादी ने पशुओं का गतवाड व चारा डालने के मकान बनाये हुए है व रिहायश की हुई है। मिन वादी शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी की मौका रिर्पोट कमिश्नर किसी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी मय हल्का पटवारी को नियुक्त कर मंगाई जानी आवश्यक है व न्यायसंगत है। ताकि अदालत हाजा को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके और अदालत हाजा को न्याय करने में मदद मिलेगी। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 31, 32, 34, 37, 40, 165, 166, 182, 184, 218, 466, 177, 181 वाके ग्राम रामपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर की मौका कब्जा रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी मय हल्का पटवारी को नियुक्त कर मंगवाई जावे।

प्रार्थनापत्र की नकल अप्रार्थी वकील को दी गई।

अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश नहीं किया । बहस की गई।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र के तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि विवादित खसरा नम्बरान पर प्रार्थी ने पशुओ का गतवाड व चारा डालने के मकान बनाये हुए है व रिहाइश की हुई है विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट राजस्व अधिकारी व कर्मचारी से मंगवाया जाना आवश्यक है। अतः रिर्पोट मौका मंगवाई जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तकासमा का दावा है जिसमें एक्सपार्टी इन्जन्क्शन है। इन्ही खसरो पर इन्ही प्रतिवादी के खिलाफ अन्य दावा पेश किया है। जिसमें केवियट

लगा रखी थी। जिसमें ये एक्सपार्टी इन्जन्क्शन आफ सूट नहीं करा सका, इसलिये यह दावा चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित बातें दावा में कही दर्ज नही की है। पूरे प्रार्थना पत्र में विवरण दर्ज नहीं किया है कि किस खसरे में मकान है, किसमें ग्वाडे है। सम्पूर्ण आराजी में उक्त निर्माण आदि सम्भव नहीं है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। दावे के निस्तारण में मौका रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि मौका रिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक है या नहीं? विचाराधीन प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगाये जाने से वाद में कोई विपरीत प्रभाव पडना प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि स्वयं वादी ने दावे में किसी कब्जा विशेष का तकासमा नही चाह कर बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विवादित आराजी का तकासमा का दावा पेश किया है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल मन्जूर है।

आदेश

प्रार्थी वादी का प्रार्थनापत्र आदेश 26 नियम 9 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को विवादित आराजी खसरा नम्बरान 31, 32, 34, 37, 40, 165, 166, 182, 184, 218, 466, 177, 181 वाके ग्राम रामपुर तहसील तहसील कोटकासिम जिला अलवर का मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है किवह उक्त आराजीयात की मौका की रिर्पाट तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। वादी मौका कमिश्नर फीस 1500 रूपये मौका कमिश्नर को भुगतान कर उनसे रसीद प्राप्त करे। अहकाम जारी किया जावे। प्रार्थनापत्र निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.4.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.4.16